दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित : 6 फरवरी, 2025
निर्णय उद्घोषित : 28 फरवरी, 2025

सि.वा.(वाणि.) 1674/2016 में अंतर.आ. 44281/2024
[I.A. 44281/2024 IN CS(COMM) 1674/2016]

ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड .....वादी

के माध्यम से: श्री हर्ष कौशिक, सुश्री पेटल चंढोक, श्री हर्ष प्रकाश, सुश्री यशिता रस्तोगी, सुश्री सुचेता रॉय और सुश्री कशिश रेहान, अधिवक्ता

बनाम

सारेगामा इंडिया लिमिटेड .....प्रतिवादी

के माध्यम से: वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल जैन के साथ श्री अंकुर संगल, श्री शाश्वत रक्षित और सुश्री अमृत शर्मा, अधिवक्तागण

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित बंसल

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. अमित बंसल,</u>

<u>अंतर.आ. 44281/2024 *(अतिरिक्त दस्तावेजों को अभिलेख में सम्मिलित करने की अनुमति मांगने हेतु)*</u>

I.A. 44281/2024 (seeking leave to place on record additional documents)

1. वर्तमान आवेदन वादी की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, जैसा कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित, के आदेश XI नियम 1(5) (इसके बाद 'सि.प्र.सं.' कहा गया है) के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इस माननीय न्यायालय से वर्तमान वाद में अतिरिक्त दस्तावेज़ों के साथ-साथ वादी की साक्षी सुश्री सुचेता देब बर्मन के अतिरिक्त साक्ष्य-शपथपत्र को अभिलेख में सम्मिलित करने की अनुमति मांगी गई है।

2. वादी ने वर्तमान वाद संस्थित किया है जिसमें अन्य सहायक राहतों के साथ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई है ताकि प्रतिवादी को वादी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोका जा सके, जो कि 29 चलचित्रों में सम्मिलित ध्वनि रिकॉर्डिंग्स से संबंधित है, जिनका उल्लेख वादपत्र में किया गया है।

3. वर्तमान आवेदन में नोटिस जारी किया गया, जिसे प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा 7 नवम्बर, 2024 को न्यायालय में स्वीकार कर लिया गया। प्रतिवादी की ओर से उत्तर तथा वादी की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल किया जा चुका है।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

4. वादी ने वर्तमान आवेदन में यह कहा है कि वाद में अतिरिक्त दस्तावेज़ दाखिल करने की आवश्यकता निम्नलिखित घटनाओं के कारण उद्भूत हुई :-

4.1. वादी ने वर्तमान वाद की विषयवस्तु बनी 29 चलचित्र फिल्मों में अपने स्वामित्व को सिद्ध करने के लिए ऐसे दस्तावेज़ दाखिल किए हैं, जिनमें वादी/उसके हिताधिकार-पूर्ववर्ती और निर्माताओं/निर्माण गृहों/उनके हिताधिकार-उत्तरवर्तियों के बीच निष्पादित समनुदेशन करार शामिल हैं।

4.2. हालाँकि, वादी के पास कुछ दस्तावेज़ों की मूल प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं, जिन्हें 18 अप्रैल, 2017 को दाखिल किया गया था, क्योंकि वे अत्यंत पुराने दस्तावेज़ हैं जो तृतीय पक्षकारगण के मध्य लिखे एवं उन्हें संबोधित किए गए थे, और ऐसे मूल दस्तावेज़ स्वाभाविक रूप से उन तृतीय पक्षकारगण की शक्ति, कब्ज़े एवं/या अभिरक्षा में होने चाहिए। अतः वादी केवल उन दस्तावेज़ों की प्रतियाँ ही दाखिल कर सका।

4.3. 18 मार्च, 2019 की सुनवाई के दौरान, जब वादी के साक्षी श्री अनुराग बेदी का बयान आंशिक रूप से दर्ज किया गया, तब मूल दस्तावेज़ों के अभाव के कारण उपर्युक्त दस्तावेज़ों को गैर-प्रदर्शित(डी-एग्ज़िबिटेड) कर दिया गया और उन्हें मार्क A, मार्क B, मार्क C तथा मार्क D के रूप में अंकित किया गया।

4.4. वादी की प्रतिस्थापित साक्षी सुश्री सुचेता देब बर्मन ने 24 मई, 2023 को दिए गए अपने साक्ष्य-शपथपत्र में यह बयान दिया कि वादी ने उपर्युक्त

दस्तावेज़ों की प्रतियाँ किस प्रकार प्राप्त की थीं। तथापि, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उक्त दस्तावेज़ों की मूल प्रतियां खोजी जा सकती हैं, और अधिक यथोचित परिश्रम अपेक्षित था। इसलिए, उन्होंने यह बयान नहीं दिया कि क्या उक्त मूल दस्तावेज़ खो गए हैं या नष्ट हो गए हैं अथवा क्या वादी उन दस्तावेज़ों की मूल प्रतियां प्राप्त करने में सक्षम होगा।

4.5. यथोचित परिश्रम और सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, वादी उन तृतीय पक्षकारगण के वर्तमान संपर्क विवरण प्राप्त नहीं कर सका, जिनके बारे में उसे सत्य विश्वास था कि उनके पास उपर्युक्त दस्तावेज़ों की मूल प्रतियां उपलब्ध हैं। अतः वादी ने उक्त तृतीय पक्षकारगण को, उपर्युक्त दस्तावेज़ों (जो मार्क A, मार्क B, मार्क C तथा मार्क D के रूप में अंकित हैं) में उल्लिखित उनके संबंधित पतों पर पत्र जारी किए, जिनके माध्यम से उनसे उक्त दस्तावेज़ों की मूल प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

4.6. जो दस्तावेज़ पहले से अभिलेख का हिस्सा हैं और जो दस्तावेज़ वर्तमान आवेदन के माध्यम से अभिलेख में सम्मिलित करने का प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हें साक्ष्य में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वादी ने अपनी साक्षी सुश्री सुचेता देब बर्मन का एक अतिरिक्त साक्ष्य-शपथपत्र भी दाखिल किया है।

<u>वादी की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

5. वादी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत होने वाले अधिवक्ता श्री हर्ष कौशिक ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:

5.1. अतिरिक्त दस्तावेज़ों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 और 66 के अनुसार अभिलेख में सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उन दस्तावेज़ों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य पेश किया जा सके जो वर्तमान वाद के अभिलेख का हिस्सा पहले से ही हैं। अतः ये दस्तावेज़ वर्तमान वाद के निपटान हेतु प्रासंगिक हैं।

5.2. चूंकि उपर्युक्त अतिरिक्त दस्तावेज़ हाल ही में वादी द्वारा भेजे गए पत्र हैं, इसलिए इन्हें वादी द्वारा वादपत्र के साथ प्रकट करने का कोई अवसर नहीं था। अतः वादी ने वादपत्र के साथ उक्त पत्रों को प्रकट न करने के लिए उचित कारण स्थापित कर दिया है।

5.3. चूंकि वादी की साक्षी की मुख्य परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है और उसकी प्रतिपरीक्षा अभी प्रारंभ नहीं हुई है, प्रतिवादी को अतिरिक्त साक्ष्य-शपथपत्र की सामग्री के संबंध में वादी की साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा।

5.4. यदि उपर्युक्त अतिरिक्त दस्तावेज़ों को अभिलेख में सम्मिलित किया जाता है तो प्रतिवादी को कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि ये दस्तावेज़ प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करेंगे। इसके विपरीत,

यदि वर्तमान आवेदन को अनुमति नहीं दी जाती है तो वादी को गंभीर हानि होगी, क्योंकि वादी उन दस्तावेज़ों को प्रमाणित नहीं कर पाएगा जो वर्तमान विवाद के लिए महत्वपूर्ण हैं और पहले से ही अभिलेख का हिस्सा हैं।

<u>प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

6. प्रतिवादी/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल जैन ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:

6.1. वादी ने वर्तमान आवेदन में, 18 अप्रैल, 2017 की दस्तावेज़ों की सूची में उक्त सूची के साथ दाखिल किए गए दस्तावेज़ों की शक्ति, कब्ज़ा एवं अभिरक्षा के संबंध में किए गए अपने बयानों के विपरीत ब्यान दिए हैं। वादी ने पहले यह कहा था कि उक्त दस्तावेज़ उसके कब्ज़े एवं अभिरक्षा में हैं, किंतु जब वह उनकी मूल प्रतियां प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा, तो उसने अपना रुख बदल लिया। अतः यह स्पष्ट है कि वादी ने वाद में विचारण प्रारंभ हो जाने के बाद नए साक्ष्य प्रस्तुत करने का दुर्भावनापूर्ण आशय रखा है।

6.2. अभिलेख में सम्मिलित करने के लिए जिन पत्रों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें भेजने की आवश्यकता 18 मार्च, 2019 को ही उद्भूत हो गई थी, जब 18 अप्रैल, 2017 की दस्तावेज़ों की सूची के साथ दाखिल कुछ दस्तावेज़ों को गैर-प्रदर्शित(डी-एग्ज़िबिटेड) कर दिया गया था। तथापि, वादी ने उक्त पत्र केवल 15 नवम्बर, 2023 से 13 फरवरी, 2024 के

बीच भेजे, अर्थात् उसके चार वर्षों से अधिक समय पश्चात्। अतः वादी वाद की कार्यवाही में विलंब कर रहा है।

6.3. यदि कुछ दस्तावेज़ों की मूल प्रतियों का पता लगाने के लिए किसी भी प्रकार का यथोचित परिश्रम अपेक्षित था, तो वह सुश्री सुचेता देब बर्मन का साक्ष्य-शपथपत्र दाखिल करते समय या उससे पूर्व किया जाना चाहिए था, न कि उसके बाद।

6.4. अभिलेख में सम्मिलित करने के लिए जिन दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है, वे 15 नवम्बर, 2023 से 13 फरवरी, 2024 के बीच अस्तित्व में आए थे और उसके बाद वाद कई अवसरों पर वादी की साक्षी का बयान दर्ज करने के लिए सूचीबद्ध हुआ, किंतु इसके बावजूद वर्तमान आवेदन केवल नवम्बर, 2024 में दाखिल किया गया। अतः वादी समयबद्ध रूप से वर्तमान आवेदन दाखिल करने के अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा है।

6.5. वादी सि.प्र.सं. के आदेश XI नियम 1(5) के प्रावधानों के अंतर्गत उपर्युक्त अतिरिक्त दस्तावेज़ों के विलंबित दाखिले के लिए कोई भी उचित कारण प्रदर्शित करने में विफल रहा है।

6.6. अभिलेख में सम्मिलित करने के लिए जिन अतिरिक्त दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है, उनसे आगे बढ़कर दाखिल किया जाने

वाला अतिरिक्त साक्ष्य-शपथपत्र है। अतः वादी ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, जिन्हें उसने प्रारंभिक साक्ष्य-शपथपत्र दाखिल करते समय छोड़ दिया था। वादी अपने साक्षी का साक्ष्य-शपथपत्र पहले ही तीन अवसरों पर दाखिल कर चुका है और उसे अपने मामले को और अधिक सुधारने का कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाना चाहिए।

6.7. वादी द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 और 66 पर व्यक्त निर्भरता अनुचित है, क्योंकि वादी द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कोई भी मामला स्थापित नहीं कर पाया है।

<u>वादी की ओर से प्रत्युत्तर में प्रस्तुतियाँ</u>

7. वादी/आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री हर्ष कौशिक ने प्रत्युत्तर में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

7.1. वादी ने दिनांक 18 अप्रैल, 2017 के अपने दस्तावेज़ों की सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उपर्युक्त डी-एक्ज़िबिटेड दस्तावेज़ों की केवल प्रतियाँ उसके पास हैं, न कि उनके मूल दस्तावेज़। अतः ऐसे दस्तावेज़ों के कब्ज़े/अधिकार के संबंध में वादी द्वारा कोई विरोधाभासी बयान नहीं दिया गया है।

7.2. आगामी कोविड-19 महामारी के कारण वादी उपर्युक्त दस्तावेज़ों की मूल प्रतियां प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम नहीं उठा सका। इसके पश्चात् वादी उपर्युक्त तृतीय-पक्षकारगण के वर्तमान पते सत्यापित करने का प्रयास कर रहा था, किन्तु समुचित सावधानी और सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन्हें सत्यापित नहीं कर सका। अतः संबंधित तृतीय-पक्षकारगण को उपर्युक्त पत्र जारी करने में कोई विलंब नहीं हुआ है।

7.3. सि.प्र.सं. के आदेश XI नियम 1(5) के प्रावधानों के अंतर्गत उचित कारण स्थापित करने की आवश्यकता वर्तमान मामले में लागू नहीं होती, क्योंकि जिन अतिरिक्त दस्तावेज़ों को अभिलेख में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है, वे वादपत्र दायर किए जाने के समय वादी के अधिकार एवं कब्ज़े में नहीं थे तथा वे वाद दायर किए जाने के पश्चात अस्तित्व में आए।

7.4. अतिरिक्त साक्ष्य के शपथपत्र तथा वर्तमान आवेदन को अस्वीकार किया जाना वादी के निष्पक्ष एवं न्यायसंगत कार्यवाही के अधिकार का उल्लंघन होगा।

<u>वाद में प्रक्रियात्मक घटनाक्रम</u>

8. वर्तमान आवेदन के विचार हेतु प्रासंगिक वाद में शामिल घटनाक्रम नीचे दिए गए हैं :-

8.1. वाद में सम्मन जारी किए गए और प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 23 दिसंबर, 2016 को न्यायालय में स्वीकार किए गए।

8.2. वाद में अभिवचन पूर्ण हो हुए और दिनांक 9 अक्टूबर, 2017 को मुद्दे विरचित किए गए। मूल दस्तावेज़ों का निरीक्षण दिनांक 14 नवंबर, 2017 को किया गया।

8.3. वादी के साक्षी श्री अनुराग बेदी का साक्ष्य-शपथपत्र दिनांक 21 जनवरी, 2019 को अभिलेख में सम्मिलित किया गया। वादी के साक्षी श्री अनुराग बेदी का परीक्षण दिनांक 18 मार्च, 2019 को प्रारंभ हुआ, जिस दौरान मूल दस्तावेज़ों के अभाव में वादी द्वारा दाखिल कुछ दस्तावेज़ों को डी-एक्ज़िबिट कर दिया गया।

8.4. वादी की ओर से कुछ अतिरिक्त दस्तावेज़ दाखिल करने की अनुमति हेतु एक आवेदन दायर किया गया, जिसे दिनांक 11 सितंबर, 2019 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वादी उस चरण पर उक्त अतिरिक्त दस्तावेज़ दाखिल करने के लिए कोई कारण, यहाँ तक कि उचित कारण भी, स्थापित करने में असफल रहा।

8.5. दिनांक 25 फ़रवरी, 2022 के आदेश द्वारा वादी के साक्षी श्री अनुराग बेदी के स्थान पर सुश्री सुचेता देब बर्मन को प्रतिस्थापित किया गया। तत्पश्चात्, सुश्री सुचेता देब बर्मन का साक्ष्य-शपथपत्र दिनांक 13 अप्रैल, 2022 को दायर

किया गया तथा एक नया/संशोधित साक्ष्य-शपथपत्र दिनांक 24 मई, 2023 को दायर किया गया। सुश्री सुचेता देब बर्मन की मुख्य-परीक्षा दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को प्रारंभ हुई, जब वादी ने अभिलेख में सम्मिलित दस्तावेज़ों के संबंध में अपने साक्षी का अतिरिक्त साक्ष्य-शपथपत्र दाखिल करने हेतु दो सप्ताह का समय माँगा, जिसे न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया। तथापि, उक्त अवधि के भीतर वह भी दाखिल नहीं किया गया।

8.6. वादी के साक्षी की मुख्य-परीक्षा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है तथा उसकी प्रतिपरीक्षा अभी प्रारंभ होनी शेष है।

8.7. वादी ने दिनांक 29 अगस्त, 2024 को अतिरिक्त दस्तावेज़ अभिलेख में सम्मिलित करने के लिए एक आवेदन दायर किया था, तथापि उक्त आवेदन दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 को नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया।

8.8. तत्पश्चात् वादी ने वर्तमान आवेदन दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 को दायर किया।

<u>विश्लेषण एवं निष्कर्ष</u>

9. मैंने पक्षकारगण के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं और अभिलेख में सम्मिलित सामग्री का परीक्षण किया।

10. जैसा कि ऊपर वाद के घटनाक्रम से स्पष्ट है, वर्तमान वाद वर्ष 2016 में दायर किया गया था और दिनांक 9 अक्टूबर, 2017 को मुद्दे विरचित किए गए। इसके बावजूद, वाद में साक्ष्य अभी तक अभिलेख में सम्मिलित नहीं किये गए हैं।

11. वर्तमान आवेदन के माध्यम से, वादी कुछ अतिरिक्त दस्तावेज़, जो वादी द्वारा जारी किए गए पत्र हैं, साथ ही उनके स्पीड पोस्ट रसीद और ट्रैकिंग रिपोर्ट, अभिलेख में सम्मिलित करने का अनुरोध करता है। अभिलेख में सम्मिलित उक्त पत्रों का विवरण निम्नलिखित है:

क. दिनांक 15 नवंबर, 2023 का पत्र, जो मैसर्स प्रसाद फिल्म लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को संबोधित है;

ख. दिनांक 13 फरवरी, 2024 का पत्र, जो मैसर्स के.पी.के. मूवीज़ को संबोधित है;

ग. दिनांक 13 फरवरी, 2024 का पत्र, जो मैसर्स लक्ष्मी वीडियो स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को संबोधित है;

घ. दिनांक 13 फरवरी, 2024 का पत्र, जो मैसर्स बॉम्बे फिल्म लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को संबोधित है।

12. उपर्युक्त दस्तावेज़ वादी द्वारा अभिलेख में सम्मिलित करने के लिए अनुरोधित हैं, ताकि निम्नलिखित दस्तावेज़ों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य

प्रस्तुत किया जा सके, जिनकी प्रतियाँ वादी द्वारा पहले ही दायर की जा चुकी हैं :-

क. दिनांक 14 सितंबर, 1994 का पत्र, जो एस्सेल विज़न द्वारा मैसर्स लक्ष्मी वीडियो स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को जारी किया गया;

ख. दिनांक 14 सितंबर, 1994 का पत्र, जो मैसर्स लक्ष्मी वीडियो स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैसर्स प्रसाद फिल्म लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को जारी किया गया;

ग. दिनांक 10 दिसंबर, 1986 का पत्र, जो के.पी.के. मूवीज़ द्वारा मैसर्स बॉम्बे फिल्म लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को जारी किया गया;

घ. दिनांक 2 फरवरी, 1989 का पावर ऑफ़ अटॉर्नी(मुख्तारनामा), जो के.पी.के. मूवीज़ द्वारा संपन्न किया गया, जिसमें श्री केवल हकुमत राय सूरी, प्रबंध निदेशक, मैसर्स टेलीवीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को अधिकार प्रदान किया गया।

13. उपर्युक्त दस्तावेज़, जिनके संबंध में वादी द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, वादी की ओर से दायर किए गए श्री अनुराग बेदी (PW1) के शपथपत्र में दिनांक 8 दिसंबर, 2018 को प्रदर्शित किए गए थे। तथापि, वादी द्वारा मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में असफल रहने के कारण उन्हें दिनांक 18 मार्च, 2019 को गैर-प्रदर्शित(डी-एक्ज़िबिटेड) कर दिया गया था। अब वादी द्वारा

अभिलेख में सम्मिलित करने की मांग किए गए दस्तावेज़ों में ऐसे पत्र शामिल हैं, जो केवल दिनांक 15 नवंबर, 2023 से 13 फरवरी, 2024 के बीच वादी द्वारा जारी किए गए थे, अर्थात् ऐसे पत्र जारी करने की आवश्यकता उत्पन्न होने के चार वर्षों से अधिक समय बाद।

14. वादी एक प्रतिष्ठित कंपनी है और कई दशकों से व्यवसाय में सक्रिय रही है। वर्तमान वाद वादी द्वारा अपने कॉपीराइटेड कार्यों के प्रवर्तन हेतु दायर किया गया है, जिसमें सिनेमा फिल्मों में सम्मिलित ध्वनि रिकॉर्डिंग के साथ-साथ ऐसी ध्वनि रिकॉर्डिंग का श्रव्य-दृश्य भी शामिल है। वादी का दावा है कि उसने कॉपीराइट को उपर्युक्त कार्यों के संबंध में उनके संबंधित निर्माता/अधिकार धारकों से प्राप्त किया है। याचिका में प्रस्तुत मामले के अनुसार, उपर्युक्त अधिकार वादी को विभिन्न समनुदेशन विलेखों के माध्यम से सौंपे गए, जो निर्माता/अधिकार धारकों और वादी/उसके पूर्ववर्ती हितधारकों के बीच संपन्न हुए।

15. स्पष्ट है कि यदि वादी वाद में अपने अधिकारों का दावा उपरोक्त पैराग्राफ़ सं. 12 में उल्लिखित दस्तावेज़ों के आधार पर कर रहा है, तो वाद दायर किए जाने के समय ये दस्तावेज़ उसके कब्ज़े में मूलप्रति के रूप में होने चाहिए थे। यदि वादी के पास ये मूल दस्तावेज़ नहीं थे, तो उसे इन दस्तावेज़ों को प्रमाणित करने के लिए द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने के कदम तुरंत उठाने चाहिए थे– चाहे यह कदम दस्तावेज़ों के प्रारंभिक दाखिल किए जाने के समय उठाए जाते,

या कम से कम तब जब इन्हें मूल दस्तावेज़ों के अभाव में दिनांक 18 मार्च, 2019 को गैर-प्रदर्शित(डी-एक्ज़िबिटेड) कर दिया गया।

16. यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी यह जानता था कि उसके पास उपर्युक्त दस्तावेज़ों की मूल प्रतियां नहीं हैं। यह दिनांक 18 मार्च, 2017 के दस्तावेज़ों की सूची से स्पष्ट है, जिसमें उल्लेख है कि वादी के पास इन दस्तावेज़ों की केवल प्रतियाँ हैं। फिर भी, वादी ने इन दस्तावेज़ों को प्रमाणित करने के लिए द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए, जब तक कि वर्तमान आवेदन दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 को दायर नहीं किया गया। वादी सात वर्षों के बाद अचानक जागकर द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने के कदम नहीं उठा सकता। इस संबंध में, ***जय प्रकाश अग्रवाल बनाम राज्य और अन्य***, 2017 SCC OnLine Del 6478 का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें इस न्यायालय की समन्वित न्यायपीठ ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं :-

> *"15. मैंने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि क्या याचिकाकर्ता ने अन्यथा दिनांक 16 अप्रैल, 1986 के दस्तावेज़ के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की आधारशिला रखी है।*
>
> *...*
>
> *17. दोनों परीक्षित साक्षियों में से किसी ने भी अपने परिसाक्ष्य में द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की कोई आधारशिला नहीं रखी है।...*
>
> *...*
>
> *22. ...जो व्यक्ति किसी दस्तावेज़ के मौजूद होने और उसके निष्पादन को द्वितीयक साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करना चाहता है, उसे ऐसा करने से पहले सबसे पहले यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि धारा 65 के अंतर्गत दस्तावेज़*

को द्वितीयक साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने की अनुमति देने वाली किसी स्थिति में से एक स्थिति मौजूद है। इसके पश्चात्, उस स्थिति में अनुमत रूप और प्रकार के द्वितीयक साक्ष्य द्वारा दस्तावेज़ को प्रमाणित करना आवश्यक है। इस दोहरी प्रक्रिया को पूरा किए बिना किसी दस्तावेज़ को द्वितीयक साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया गया नहीं कहा जा सकता।"

17. द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, किसी पक्षकार को इसके लिए आधारभूत साक्ष्य पेश करना आवश्यक होता है; इसके अभाव में द्वितीयक साक्ष्य अस्वीकार्य होगा। इस संबंध में ***आरएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंटरनेशनल, एलएलसी बनाम व्हिज़लैब्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य***, 2023 SCC OnLine Del 5169 का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें इस न्यायालय की समन्वित न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि वादी ने दस्तावेज़ों को द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित करने की अनुमति के लिए कोई आधार नहीं प्रस्तुत किया है। उक्त मामले से प्रासंगिक अंश निम्नलिखित है:

"64. …वादी अपनी स्वयं की लापरवाही का लाभ नहीं उठा सकता। वस्तुतः, भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) की धारा 65(ग) यह निर्धारित करती है कि जो पक्षकार किसी दस्तावेज़ को द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित करना चाहता है और उसका कारण दस्तावेज़ का नष्ट होना या खो जाना बताता है, वह स्वयं चूक करने वाला या लापरवाह नहीं होना चाहिए। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह स्थिति वादी के लिए लागू नहीं होती।

65. यहाँ यह पुनः उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्रतिवादीगण ने दस्तावेज़ों पर प्रदर्श चिह्नित करने के संबंध में विशेष आपत्तियाँ उठाई थीं, क्योंकि उनके मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए थे। ये आपत्तियाँ दिनांक 04.10.2016 को दायर की गईं। इसके बावजूद, वादी ने कथित आवेदन को ढूँढने या पंजीकरण

के दस्तावेज़ों की नईं प्रमाणित प्रतियाँ अभिलेख में सम्मिलित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। *जैसा कि प्रतिवादीगण के वरिष्ठ अधिवक्ता ने सही रूप से तर्क दिया, दस्तावेज़ों पर दिनांक 28.09.2015 को प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में प्रदर्श चिह्नित किए गए थे। उक्त दिन, PW-1 की प्रतिपरीक्षा के लिए प्रतिवादीगण का अधिकार बंद था। तथापि, दिनांक 29.01.2016 के आदेश द्वारा इसे पुनः खोल दिया गया। PW-1 की प्रतिपरीक्षा से पहले, प्रतिवादीगण ने दस्तावेज़ों पर प्रदर्शों के अंकन पर आपति दर्ज कराई।* ***इसके बावजूद, वादी ने प्रमाणित प्रतियों के मूल दस्तावेज़ों को अभिलेख में सम्मिलित करने या यह आवेदन दायर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए कि क्यों उसे दस्तावेज़ों को द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने एच.सिद्दीकी (मृत) के माध्यम से विधिक प्रतिनिधि बनाम ए. रामलिंगम, (2011) 4 SCC 240 में स्पष्ट किया कि किसी पक्षकार को द्वितीयक साक्ष्य पर निर्भर रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) की धारा 65 में उल्लिखित परिस्थितियाँ उस पक्षकार द्वारा पूरी न की गई हों।***

[जोर दिया गया]

18. उपर्युक्त चर्चा के प्रकाश में, वर्तमान वाद में वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कोई समुचित परिश्रम किया, जबकि उसे यह ज्ञात था कि उसके पास उपर्युक्त दस्तावेज़ों की मूल प्रतियां नहीं हैं।

19. वादी द्वारा 15 नवम्बर 2023 से 13 फरवरी 2024 के बीच उपर्युक्त पत्र लिखने का एकमात्र स्पष्टीकरण यह दिया गया है कि वादी उन तृतीय पक्षों के वर्तमान संपर्क विवरण प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, जिनके पास उपर्युक्त दस्तावेजों की मूल प्रतियां होने का उसे विश्वास था। यह अकल्पनीय है कि वादी

पाँच वर्षों से अधिक समय तक उक्त तृतीय पक्षों के सही संपर्क विवरण प्राप्त करने में असमर्थ रहा। इस संबंध में वादी की ओर से केवल खोखले कथन किए गए हैं। वादी द्वारा यह औचित्य प्रस्तुत करना कि वह कोविड-19 के आरंभ होने के कारण पहले ऐसा नहीं कर सका, अस्वीकार्य है।

20. वादी की ओर से जो तर्क प्रस्तुत किया गया कि उपर्युक्त दस्तावेज़ हाल ही में अस्तित्व में आए हैं और इसलिए उन्हें पहले चरण में दाखिल करने का कोई अवसर नहीं था, वह भी तर्कहीन और निराधार है। यदि यह तर्क मान लिया जाए, तो कोई भी पक्षकार वाद की लंबित अवधि के दौरान अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए पत्र लिखता रह सकता है और बाद में यह दावा करते हुए उन्हें अभिलेख में सम्मिलित किया जा सकता है कि वे वाद दायर होने के बाद अस्तित्व में आए।

21. उपर्युक्त पत्र वादी द्वारा अपने वाद में अपने पक्ष को मजबूत करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। अतः केवल इसलिए कि ये पत्र वर्तमान वाद दायर करने के बाद और वर्तमान आवेदन दायर करने से पहले अस्तित्व में आए, इन्हें अभिलेख में सम्मिलित करने का आधार नहीं बनता। इसके अलावा, यद्यपि वादी द्वारा अभिलेख में सम्मिलित किए जाने वाले चार पत्र दिनांक 15 नवंबर, 2023 से 13 फरवरी, 2024 के बीच भेजे गए थे, वर्तमान आवेदन

केवल नवंबर 2024 में दायर किया गया। यह वादी के सुस्त दृष्टिकोण को और उजागर करता है।

22. जैसा कि प्रतिवादी के अधिवक्ता ने सही रूप से इंगित किया, वर्तमान आवेदन न केवल अतिरिक्त दस्तावेज़ों को अभिलेख में सम्मिलित करने बल्कि वादी के साक्षी का अतिरिक्त साक्ष्य-शपथपत्र भी प्रस्तुत करने के लिए दायर किया गया है। वादी ने वर्तमान वाद में पहले ही कई साक्ष्य-शपथपत्र दाखिल कर दिए हैं। अतिरिक्त साक्ष्य-शपथपत्र दाखिल करने का प्रयास वादी द्वारा अपने पक्ष को मजबूत करने का प्रयास है, जिसे इस चरण पर अनुमति नहीं दी जा सकती। वस्तुतः, वादी इस अतिरिक्त साक्ष्य-शपथपत्र के माध्यम से द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की आधारशिला रखने का प्रयास कर रहा है, जो उसे पहले ही करना चाहिए था।

23. उक्त दस्तावेज़ों को इस चरण में अभिलेख में सम्मिलित करने की अनुमति देना वाणिज्यिक वादों के संचालन के लिए निर्धारित वैधानिक व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत होगा। वादी को वाद के किसी भी चरण में अपनी मनमानी के अनुसार दस्तावेज़ दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। व्यावसायिक वादों के शीघ्र निपटान का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि पक्षकारों को वाद की किसी भी अवस्था में अतिरिक्त दस्तावेज़ दाखिल करने की अनुमति दी जाती है।

24. इस संदर्भ में, ***नितिन गुप्ता बनाम टेक्समाको इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग लिमिटेड***, 2019 SCC OnLine Del 8367 में समन्वित न्यायपीठ द्वारा किए गए निष्कर्षों का संदर्भ लिया जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं:-

> ***"38. जब तक वाणिज्यिक विभाग, वाणिज्यिक वादों से निपटते समय, वाणिज्यिक वादों के लिए बनाए गए नियमों को लागू करना प्रारंभ नहीं करते और संदेहास्पद प्रकृति के दस्तावेज़ों के विलंबित दाखिले हेतु प्रस्तुत आवेदनों पर विचार करने से इंकार नहीं करते, तथा 'न्याय के हित' और 'वकील की चूक के कारण वादी को कष्ट नहीं होना चाहिए' के नाम पर उदारता दिखाते रहते हैं, तब तक वाणिज्यिक वाद भी उसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे जिससे साधारण वाद ग्रस्त हो चुके हैं और जिसके कारण वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की आवश्यकता महसूस की गई थी। अतः वाणिज्यिक विभाग को बिना किसी उचित कारण स्थापित किए, जो यह स्पष्ट करे कि वादपत्रों के साथ दस्तावेज़ों का प्रकटीकरण क्यों नहीं किया गया, दस्तावेज़ों के विलंबित दाखिले हेतु आवेदन स्वीकार या अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान मामले में वादी इस संबंध में पूर्णतः असफल रहा है। आवेदन में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि यदि वादी ने प्रतिवादी से उक्त पत्र प्राप्त कर लिया था, तो उसने उसे याद क्यों नहीं रखा और पुलिस शिकायत दर्ज करते समय अथवा इस वाद को दाखिल करते समय उसका प्रकटीकरण क्यों नहीं किया, भले ही वह पत्र गुम हो गया हो या तत्काल उपलब्ध न रहा हो। दस्तावेज़ों के शपथपत्र दाखिल करने हेतु निर्धारित प्रपत्र वाणिज्यिक वाद में वादी से अपेक्षा करता है कि यदि उसके पास तत्काल कोई प्रासंगिक दस्तावेज़ न भी हो, तो भी उसका प्रकटीकरण करे। ऐसा वादी जो ऐसा करने में विफल रहता है और जब विलंबित रूप से दस्तावेज़ दाखिल करने का प्रयास करता है, तब न्यायालय को यह संतुष्ट नहीं कर पाता कि उक्त दस्तावेज़ का प्रकटीकरण क्यों नहीं किया गया, उसे ऐसे दस्तावेज़ दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"***
>
> [जोर दिया गया]

25. इस न्यायालय का सतत् दृष्टिकोण यह रहा है कि वाणिज्यिक वादों में समय-सीमाओं का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। सि.प्र.सं. के आदेश XI, नियम 1(5) में प्रयुक्त शब्द "उचित कारण" ऐसा कारण होना चाहिए जो वादी के नियंत्रण के बाहर हो और जिसने वादी को उस प्रासंगिक चरण पर अतिरिक्त दस्तावेज़ दाखिल करने से रोका हो। इस संबंध में ***बेला क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम अनुज टेक्सटाइल्स***, 2022 SCC OnLine Del 1366 और ***ऋषि राज बनाम सारेगामा इंडिया लिमिटेड***, 2021 SCC OnLine Del 4897 का संदर्भ लिया जा सकता है।

26. जहाँ तक वादी की इस दलील का प्रश्न है कि यदि उपर्युक्त दस्तावेज़ अभिलेख पर ले लिए जाएँ तो प्रतिवादी को कोई हानि नहीं होगी, यह दलील निराधार है। स्पष्ट है कि वर्तमान आवेदन दाखिल किए जाने के कारण प्रतिवादी को हानि पहुँची है क्योंकि वाद का परीक्षण, जो 18 मार्च 2019 को प्रारंभ हुआ था, अत्यधिक विलंबित हो गया है। वादी बार-बार स्थगन लेता रहा है और किसी न किसी बहाने वाद के परीक्षण में देरी करता रहा है।

27. ***आइकोरे टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम एक्सपीडिस टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य***, 2022 SCC OnLine Del 4012 में, जिस निर्णय का वादी ने आश्रय लिया है, उसमें अतिरिक्त दस्तावेज़ दाखिल करने का आवेदन वादी की ओर से तब दायर किया गया था जब मुद्दे अभी

तक विरचित नहीं किए गए थे। अतः वादी द्वारा उपर्युक्त निर्णय पर किया गया भरोसा अनुचित है।

28. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, वादी इन दस्तावेज़ों को इतनी विलंबित अवस्था में दाखिल करने के लिए कोई उचित या स्वीकार्य स्पष्टीकरण देने में असफल रहा है। अतः मुझे इस आवेदन में कोई गुणागुण नहीं प्रतीत होता और इसे ₹25,000/- के जुर्माने सहित निरस्त किया जाता है। उपर्युक्त जुर्माना वादी द्वारा प्रतिवादी को दो सप्ताह के भीतर अदा किया जाएगा।

<u>सि.वा. (वाणि.) 1674/2016</u>
<u>[CS (COMM) 1674/2016]</u>

29. दिनांक 9 अप्रैल, 2025 को संयुक्त निबंधक के समक्ष सूचीबद्ध करें।

अमित बंसल
(न्यायाधीश)

28 फरवरी, 2025
एटी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*